

1/20

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

20 पत्रावली पेसा वकील जामी अधि० २३०
वार्ड बरस २०१०-२० की पेसा ही

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

10/20 पत्रावली पेसा वकील जामी उप० ही बरस
सुनी। वार्ड कादेस पत्रावली रिगोठ 15 1/20
की पेसा ही

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

10/520 पत्रावली पेसा वकील जामी उप० (पत्रावली
का अलोकन किया गया। जामी की जमाना
पत्र के लम्प, अनुलोप एवं दस्तावेजों का
अलोकन किया बरस विहान अधिवक्ता

जामी पर किया गया।
बरस विहान अधिवक्ता जामी पर

मनन किया वकील जामी का नयन व कि
न्यायालय उर पारित ह्याण की अवेरका:

की गरी की अध्यायिक उर पारी पर
जबल कला कल का प्रयास कल पर

107, 151 CrPC की कार्यवाही की गरी
अध्यायिक वावर्ड सूचना अनुपारित रहे

की इस कारण उनके विकट एक लका कार्यवाही
की गरी न्यायालय की अवेरका की गरी की

जमाना फ पर मनन किया। जामिया के
पत्र म दि० २०.५.१४ की ग्राम मोड़क की वकी

खि० 1406, 1408, 1409, 1410, 1413, 1431 कुठ
किला ४ (नवा) 1.69 ह. पर मोड़क की यमा

लिपि के कादेस पारित किये गये थे।


उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहक
हुकम
में

श्रीगणेश का कहना है, कि अश्वामी द्वारा
 उक्त शक्ति पर जमानत बुझाने का प्रयास किया
 इस कारण उक्त विकट धर्म में निपटारे करने
 शक्य है। अश्वामी का कहना यह भी है, कि
 उन्हें बाला 102-151 Cr.P.C. के अन्तर्गत
 पाबंद जवाबदा गमा है। अश्वामी का
 समर्पण में श्रीगणेश द्वारा कामाक्षी आदि
 सीट सि० नं० 183/2018 पी.डी. मोडक बनाम
 रामप्रसाद दि० 13.6.18, मय इन्तगाला,
 एवं न्यायालय S.D.O. राठमणी जकाता
 सं०-2018, कमलीबाई बनाम कर्णमाला
 आदेशिका दि० 20.4.18 की प्रति प्रेष की।
 उक्त प्रीतिवद में कलकाल का एवाना
 दिया गया है। प्रीतिवद के अश्वामी का
 संबंधित कामपालक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रीतिवद
 कायम रखने हेतु पाबंद किया गया है।
 अश्वामी द्वारा यह लक्ष्य प्रमुख
 नहीं किया है, कि अश्वामी द्वारा अश्वामी
 आदेशिका श्री. अर्जुनका श्री. अश्वामी प्रीतिवद
 में भी मात्र झाड़ा जाने व शक्ति वंग
 जाने के लक्ष्य है। अश्वामी का अश्वामी
 द्वारा कलकाल का प्रीतिवद प्रीतिवद
 लक्ष्य प्रमाण रूप से प्रेष नहीं किया


 जज
 10/3

दिख म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>है। शांतिमंगल होना, शांतिमंगल का अद्वैत होना इत्यादि पर पुलिस इशदारी कार्यवाहियाँ काली ही हैं, इसका यह तात्पर्य नहीं है, कि अज्ञायी द्वारा आयालय के समानादेश श्री जानबूझ का अवहेलना की है।</p> <p>अतएव अज्ञायी द्वारा आयालय समक्ष श्री जानबूझका अव- हेलना की है, या श्री गच्छे लो, ऐसा प्रमाणित नहीं होला है।</p> <p>अतएव श्री गुलाबगुठा पर समझके विचार किया। गुलाबगुठा के आधार पर कार्यवाही पर कार्यवाही अस्वीकार किया जाता है।</p> <p>प्रयावनी श्री निगिलि में गठना की जाकर अखिल जेय मंडार है।</p> <p>निर्दिष्ट आदेश दिनांक 15.10.2020 की प्रेरित द्वारा लिखवाया जाकर विज्ञापन आयालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(देशाल दान)</p> <p style="text-align: center;">J. A. S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी</p>	